

Order Sheet [Contd]

Case No 188/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
19-05-2017	<p>आवेदकगण/आरोपीगण रवि एवं भूरा की ओर से श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 97/17 धारा 380 भा.द. वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधि. श्री जी.एस.गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश करना व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि आवेदकगण के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उनके किसी विरोधी के द्वारा उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से पुलिस से मिलकर गिरफ्तार करवा दिया है। प्रार्थीगण के घर वालों ने पुलिस थाना जाकर जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि शक के आधार पर बिठा लिया है छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया है। तब प्रार्थीगण के भाई द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड को इस संबंध में अबगत कराया गया है। आवेदकगण से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः उचित जमानत मुचलके पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि अभियुक्तगण पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी शिकायत आवेदक/अभियुक्त ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड को की है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज कर दिया है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर फरियादिया चंचल व्यास की दुका में जाकर चार साड़ियाँ व दो स्टोल चोरी करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त पर इस प्रकरण में केवल 2,500/- रुपए की चोरी का आरोप है, किन्तु यदि आज ही इस न्यायालय में लंबित अन्य जमानत का अवलोकन किया जाए तो पुलिस थाना गोहद में अभियुक्त भूरा पर अपराध क्रमांक 96/17 भा.द.वि की धारा 380 किराने की दुकान में घुसकर चोरी करने का आरोप है, इसी प्रकार पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 45/17 में भा.द.वि की धारा 379 में एक मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त भूरा पर आपराधिक 3 प्रकरण दर्ज</p>	

होना प्रतिवेदन में भी दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त भूरा पर तीनों प्रकरण चोरी के है। अतः आवेदक/अभियुक्त भूरा के संबंध में रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त भूरा को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त भूरा के संबंध में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।

जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त रवि का संबंध है, आवेदक रवि पर इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण दर्ज रहा हो ऐसा अभियोजन की ओर से दर्शाया नहीं गया है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त रवि के संबंध में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त रवि के संबंध में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि उसकी ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 15000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र इन शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें—

1. प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो आवेदक/अभियुक्त रवि को जमानत पर छोड़ा जावे।

आदेश की प्रति अधीनस्थ विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद